फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

बनवारी बनाम स्टेट

किस्म मुकदमा : **136 LRA** — प्रकरण संख्या 183 /2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
~~10.04.2026~~ 28/5/2026	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया की रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 86/2 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि प्रार्थी की जरिये बैयनामा खरीद की गई है बैयनामा में प्रार्थी के पिता का नाम लालचन्द है जबकि उक्त बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता का नाम लालचन्द के स्थाान पर जीवनराम दर्ज कर दिया जो की सहवन से दर्ज हुआ है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी अपना बनवारी पुत्र जीवनराम के स्थान पर बनवारी पुत्र लालचन्द दर्ज करवाना चाहता है। तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार बैयनामा एवं दस्तावेजों में बनवारी पुत्र लालचन्द है जबकि राजस्व रिकार्ड में बनवारी पुत्र जीवनराम दर्ज है प्रार्थी का नाम बनवारी पुत्र जीवनराम के स्थान पर बनवारी पुत्र लालचन्द किया जाना उचित है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 86/2 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बनवारी पुत्र जीवनराम दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तु बैयनामा एवं समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम बनवारी पुत्र लालचन्द है तथा तहसीलदार नोहर द्वारा भी प्रार्थी का नाम बनवारी पुत्र जीवनराम के स्थान पर बनवारी पुत्र लालचन्द दर्ज किया जाना उचित है की अनुशंषा की गई है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 86/2 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रार्थी का नाम बनवारी पुत्र जीवनराम के स्थान पर बनवारी लाल पुत्र लालचन्द नैण का संशोधन किया जाता है। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हों। Rahul उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	